

प्रेषक,

राम गणेश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक 10 अगस्त, 2010

विषय:- पालीटेक्निक संस्थाओं में चार वर्षीय अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4521/डब्लू-टी0 सतत शिक्षा-2010 दिनांक 6-7-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में स्थित समस्त राजकीय / अनुदानित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत चार वर्षीय अंशकालीन पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत ही संचालित किये जायेंगे एवं उन्हीं विधाओं में ही प्रारम्भ किये जायेंगे जो विधायें नियमित पाली में संचालित की जा रही हैं। इन पाठ्यक्रमों के संचालन में शासनादेश संख्या-506/96-प्रा0शि0-3-1996-12(बी)/96 दिनांक 29-2-96 व शासनादेश संख्या-2116/2000-सोलह-3-12(बी)/96 दिनांक 22-12-2000 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त व्ययभार वहन नहीं किया जायेगा एवं संस्था में उपलब्ध शैक्षणिक स्टाफ से प्रशिक्षण कार्य लिया जायेगा।

3- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
भवदीय,

(राम गणेश)
विशेष सचिव

-2/-

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 2- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 3- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद / संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- समस्त प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,